

मैनुअल संख्या: 7 [धारा 4(1)(ख)(vii)]

किसी व्यवस्था की विशिष्टियाँ, जो उसकी नीति की संरचना या उसके कार्यान्वयन के सम्बन्ध में जनता के सदस्यों से परामर्श के लिया या उनके द्वारा अभ्यावेदन के लिये विद्यमान है।

जनता के सदस्यों के साथ परामर्श या प्रतिनिधित्व की व्यवस्था :-

आयोग के समक्ष दाखिल की जाने वाली सभी याचिकाओं के मामलों पर भी आयोग सम्बन्धित पक्षों को सुनवाई का अवसर, यदि आवश्यक है, देते हुए कार्य में पारदर्शिता एवं विनियम के अन्तर्गत निर्णय करता है। आयोग द्वारा विभिन्न विद्युत कम्पनियों आदि के टैरिफ निर्धारण के समय, जन-सामान्य से परामर्श तथा प्रस्तावित टैरिफ दरों में जनता के सुझाव/टिप्पणियों हेतु टैरिफ प्रस्ताव के आँकड़ों इत्यादि को मुख्य समाचार पत्रों एवं आयोग की अधिकारिक वेबसाइट www.uerc.uk.gov.in में प्रकाशित करता है तथा इन पर स्टेकहोल्डरों से सुझाव/टिप्पणियाँ प्राप्त करने के उपरान्त, उस पर सुनवाई का उपयुक्त अवसर देने के पश्चात् टैरिफ आदेश निर्गत करता है।

विद्युत अधिनियम, 2003 की धारा 87 (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए आयोग द्वारा राज्य सलाहकार समिति का गठन किया गया है। विद्युत अधिनियम, 2003 की धारा 87(2) के अनुसार राज्य सलाहकार समिति में वाणिज्य, उद्योग, परिवहन, कृषि, श्रम, उपभोक्ता, गैर सरकारी संगठनों और विद्युत क्षेत्र में शैक्षणिक तथा अनुसंधान निकायों का प्रतिनिधित्व करने के लिए सदस्य नामांकित किए जाते हैं। आयोग के अध्यक्ष एवं सदस्य राज्य सलाहकार समिति के क्रमशः पदेन अध्यक्ष एवं सदस्य हैं तथा उत्तराखण्ड शासन के ऊर्जा तथा खाद्य विभाग के प्रमुख सचिव/सचिव सलाहकार समिति के पदेन सदस्य हैं।

वर्तमान में गठित विद्युत सलाहकार समिति में निम्न सदस्य सम्मिलित हैं:-

क्र०	सम्मानित सदस्य	पद
1.	अध्यक्ष, उत्तराखण्ड विद्युत नियामक आयोग।	पदेन अध्यक्ष
2.	सदस्य (विधि), उत्तराखण्ड विद्युत नियामक आयोग।	पदेन सदस्य
3.	सदस्य (तकनीकी), उत्तराखण्ड विद्युत नियामक आयोग।	पदेन सदस्य
4.	प्रमुख सचिव/सचिव, ऊर्जा, उत्तराखण्ड शासन।	पदेन सदस्य
5.	प्रमुख सचिव/सचिव, खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता मामले, उत्तराखण्ड शासन, देहरादून।	पदेन सदस्य
6.	अध्यक्ष, इण्डस्ट्रीज एसोसिएशन ऑफ उत्तराखण्ड, देहरादून।	सदस्य
7.	अध्यक्ष, सी0आई0आई0, नेपाल हाऊस, राजपुर रोड़, देहरादून।	सदस्य
8.	अध्यक्ष, कुमाऊँ गढ़वाल चैम्बर ऑफ कामर्स एण्ड इण्डस्ट्रीज चैम्बर हाउस, इण्ड0 एरिया, बाजपुर रोड़, काशीपुर।	सदस्य
9.	प्रेसीडेन्ट, मसूरी होटल एसोसियेशन, होटल माल पैलेस, द माल, समीप रोप वे, मसूरी।	सदस्य
10.	अध्यक्ष चार धाम होटल एसोसिएसन (उत्तराखण्ड), होटल योगा बद्रीनाथ धाम/पाण्डुकेश्वर, चमोली।	सदस्य
11.	संयुक्त निदेशक (नियोजन), कृषि निदेशालय, नंदा की चौकी, प्रेमनगर, देहरादून।	सदस्य
12.	उप श्रमायुक्त, गढ़वाल क्षेत्र, 298, हिमगिरी विहार, अजबपुर खुर्द, देहरादून।	सदस्य
13.	सहायक महाप्रबंधक (विद्युत-अभि०), भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण, विमानपत्तन देहरादून।	सदस्य
14.	विभागाध्यक्ष, विद्युत अभियन्त्रण विभाग, गोविन्द बल्लभ पन्त कृषि एवं प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय, पन्तनगर।	सदस्य
15.	प्रोफेसर एवं हैड, डिपार्टमेन्ट ऑफ इकोनोमिक, दून विश्वविद्यालय, देहरादून।	सदस्य
16.	विभागाध्यक्ष, इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग विभाग, आईआईटी, रुड़की।	सदस्य
17.	श्री अतुल कुमार अग्रवाल, पूर्व निदेशक (परिचालन), यूपीसीएल, निवास- 122, दून पॉम सिटी, पथरीबाग, देहरादून।	सदस्य
18.	श्री राजीव कुमार अग्रवाल, 32, इन्दर रोड़, डालनवाला, देहरादून।	सदस्य
19.	श्री पुरुषोत्तम सिंह, आर-82, शिवालिक नगर, बीएचईएल, हरिद्वार।	सदस्य
20.	श्री प्रकाश रावत, जय नन्दा वैलफेयर सोसाईटी (NGO) फ्लेट न०-06, लेन न०-9, देवढूँषि एनक्लेव, देहरादून, देहरादून।	सदस्य
21.	श्री गौरव खण्डूरी, महासचिव, उत्कर्ष जन कल्याण सेवा समिति, 112, चन्दरनगर, देहरादून।	सदस्य

विद्युत सलाहकार समिति को विद्युत अधिनियम, 2003 की धारा 88 के प्रावधानों के अन्तर्गत निम्न पर आयोग को सलाह दिये जाने का प्राविधान है:—

- (i) नीति के मुख्य प्रश्नों पर;
- (ii) अनुज्ञप्तिधारियों द्वारा प्रदान सेवा की गुणवत्ता, निरन्तरता और विस्तार से सम्बन्धित मामलों पर;
- (iii) उनकी अनुज्ञप्ति की शर्तों और अपेक्षाओं पर अनुज्ञप्तिधारियों द्वारा अनुपालना पर;
- (iv) उपभोक्ता हित के संरक्षण पर;
- (v) सेवाओं द्वारा पालन के सभी मानकों और विद्युत प्रदाय पर।

आयोग द्वारा उपरोक्त के अतिरिक्त अन्य महत्वपूर्ण विषयों जैसे—बिलिंग एवं विद्युत बिलों के भुगतान से सम्बन्धित समस्याओं का निवारण, प्रदेश में ऊर्जा मांग प्रबन्धन, लाईसेन्सी द्वारा समय से टैरिफ प्रस्ताव दिया जाना तथा विभिन्न विद्युत अनुज्ञापी/कम्पनियों द्वारा प्रस्तुत टैरिफ प्रस्ताव इत्यादि पर भी सलाहकार समिति के सदस्यों से सलाह ली जाती है।

(1) प्रासंगिक अधिनियम, नियम, प्रपत्र और अन्य दस्तावेज जो आम तौर पर नागरिकों द्वारा उपयोग किए जाते हैं :—

यह विवरण उपरोक्त बिन्दु पर सम्मिलित है।

(2) परामर्श या प्रतिनिधित्व की व्यवस्था द्वारा :—

यह विवरण उपरोक्त बिन्दु पर सम्मिलित है।

क) नीति निर्माण/नीति कार्यान्वयन में जनता के सदस्य :—

आयोग द्वारा वार्षिक राजस्व आवश्यकता के सम्बन्ध में विभिन्न विद्युत कम्पनियों से प्राप्त टैरिफ पिटिशन तथा महत्वपूर्ण विनियम पर सभी स्टेकहोल्डरों के सुझाव प्राप्त किये जाते हैं और यदि आवश्यक हो तो इस विषयों पर जन-सुनवाई भी आयोजित कर उन्हें मौखिक पक्ष को सुना जाता है। विभिन्न नितिगत विषयों पर आयोग द्वारा विद्युत अधिनियम 2003 की धारा 87 (1) के अन्तर्गत गठित सलाहकार समिति से भी विचार विमर्श कर, उनके महत्वपूर्ण सुझाव प्राप्त कर निर्णय लिया जाता है।

बी) आगंतुकों के लिए दिन और समय आवंटित :-

आयोग द्वारा महत्वपूर्ण एवं नितिगत प्रकरण पर आयोजित जन-सुनवाई/बैठकों हेतु सभी स्टैकहोल्डरों के लिए निर्धारित तिथि एवं समय की सूचना समाचार-पत्रों में अथवा पत्र के माध्यम से प्रसारित की जाती है।

ग) आरटीआई आवेदकों द्वारा अक्सर मांगे जाने वाले प्रकाशन प्रदान करने के लिए सूचना एवं सुविधा काउंटर (आईएफसी) का संपर्क विवरण :-

आरटीआई आवेदकों की सुविधा के लिए अभिलेख कक्ष निर्धारित किया गया है। जिसमें सूचना के अधिकार अधिनियम, आयोग का मैनुअल इत्यादि का अवलोकन किया जा सकता है। इस हेतु सम्पर्क विवरण निम्नवत् है :-

श्री दीपक कुमार,
उप निदेशक (प्रशासन)/लोक सूचना अधिकारी
कक्ष संख्या-104
विद्युत नियामक भवन,
उत्तराखण्ड विद्युत नियामक आयोग
नियर आईएसबीटी, माजरा, देहरादून।

सार्वजनिक-निजी भागीदारी (पीपीपी) :-

यह बिन्दु आयोग पर लागू नहीं होता है।

(1) विशेष प्रयोजन वाहन (एसपीवी) का विवरण, यदि कोई हो :-

यह बिन्दु आयोग पर लागू नहीं होता है।

(2) विस्तृत परियोजना रिपोर्ट (डीपीआर) :-

यह बिन्दु आयोग पर लागू नहीं होता है।

(3) रियायती समझौते :-

यह बिन्दु आयोग पर लागू नहीं होता है।

(4) संचालन और रखरखाव मैनुअल :-

यह बिन्दु आयोग पर लागू नहीं होता है।

(अ) पीपीपी के कार्यान्वयन के हिस्से के रूप में तैयार किए गए अन्य दस्तावेज :-

यह बिन्दु आयोग पर लागू नहीं होता है।

(ब) फीस, टोल या अन्य प्रकार के राजस्व से संबंधित जानकारी जो सरकार से प्राधिकरण के तहत एकत्र की जा सकती है :-

यह बिन्दु आयोग पर लागू नहीं होता है।

(स) आउटपुट और परिणामों से संबंधित जानकारी :-

यह बिन्दु आयोग पर लागू नहीं होता है।

(द) निजी क्षेत्र की पार्टी (रियायत प्राप्तकर्ता आदि) के चयन की प्रक्रिया :-

यह बिन्दु आयोग पर लागू नहीं होता है।

(ध) पीपीपी परियोजना के तहत किए गए सभी भुगतान :-

यह बिन्दु आयोग पर लागू नहीं होता है।